चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ''मिशन शक्ति अभियान-4'' के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

''मिशन शक्ति अभियान-4'' व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ''मिशन शक्ति'' व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ''एंटी रोमियो स्क्वायड'' टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला,क्षेत्रीय त्यौहारों एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(4). आज दिनाँक-28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(5). आज दिनाँक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(6). आज दिनाँक-28.04.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के संचालन, महिला बैरक में निरुद्ध महिलाओं से खान-पान आदि के बारे में जानकारी की तथा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार दूरभाष पर बात भी कराते रहें। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदियों की खाना तलाशी कराकर अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि कैदियों को मीनू के अनुसार खान-पान की व्यवस्था रहे। निरुद्ध कैदियों के लिए आरो पानी की सप्लाई, रसोईघर का निरीक्षण करते हुये जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन,नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। कैदियों को जो सुविधाएं अनुमन्य है उसी के अनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने लूट के आरोपी अभियुक्त को लूट के 01 अदद सोने का लॉकेट,06 अदद जवा मोती सोने के व 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया ।
अभियुक्तगण नाम व पताः-
राहुल रैकवार पुत्र स्व0 रामबाबू निवासी भरतपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
बरामदगीः-

1. 01 अदद सोने का लॉकेट
2. 06 अदद जवा मोती सोने के

3. 01 अदद तमंचा 315 बोर
4. 02 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी का स्थान,समय,दिनाँक-
सिचाई कॉलोनी के रास्ते से 40 कदम की दूरी पर,23.45 बजे,27.04.025

संक्षिप्त विवरणः-
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26.04.025 को वादिया दशरथी देवी पत्नी भोला प्रसाद निवासी लक्ष्मणपुरी बस स्टैण्ड स्वराज कॉलोनी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि 26.04.025 की सुबह वह अपने घर के सामने टहल रही थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति उन्हे धक्का मारकर गले से सोने का मंगलसूत्र लूट कर भाग गया जिसकी सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 251/025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 27.04.025 को उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व उनकी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज की मदद से सिचाई कॉलोनी कर्वी के रास्ते से 40 कदम की दूरी पर आरोपी अभियुक्त राहुल रैकवार उपरोक्त को घेरघार कर आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की जामतलाशी से 01 अदद सोने का लॉकेट,06 अदद जवा मोती सोने के व 01 अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त से बरामद सोने के माल के सम्बन्ध में पूंछताछ की गयी तो बताया कि दिनाँक 26.04.025 को एक महिला के गले से लूट कर भाग गया था । लूट के माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अवैध तमंचा की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. उ0नि0 श्री गौरव तिवारी कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी नीतू द्विवेदी
3. आरक्षी राहुल देव
4. आरक्षी सुरेन्द्र कुमार

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान कोतवाली कर्वी व थाना रैपुरा पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1).उ0नि0 श्री रामप्रीत सिंह व उनके हमराही आरक्षी पवन यादव द्वारा अ0सं0 195/2019 के वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र सीता निवासी ग्राम अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 विवेक कुमार सिंह कोतवाली कर्वी व उनके हमराही आरक्षी शिवपूजन यादव वाद सं0 351/022 के वारण्टी अभियुक्त रामु पुत्र रामभजन निवासी खटकाना मोहल्ला कॉपरेटिव बैंक कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में थानों पर खड़े वाहनों के निस्तारण के रुप में Operation Clean के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी अंतर्गत चौकी सीतापुर में खड़े कुल 35 लावारिस/जब्तशुदा जिसमें 33 दो पहिया,01 ऑटो व 01 मारुति कार की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी जिसके क्रम में सभी वाहनों का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी चित्रकूट से दिनाँक 24.01.2025 को मुल्यांकन कराया गया। नीलामी की प्रक्रिया के क्रम में श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट कर्वी को रिपोर्ट

देकर नीलामी की तिथि निश्चित की गयी और समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराते हुए प्रचार प्रसार कराया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को श्री दयाशंकर वर्मा नायब तहसीलदार कर्वी की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही चौकी परिसर में शुरू की गयी जिसमें बोली लगाने हेतु उपस्थित 08 व्यक्तियों के सामने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बोली प्रारम्भ की गयी सभी वाहनो की अन्तिम बोली 1,35,000 रु0 बोली गयी जिसे अन्तिम रुप देते हुए कागजात तैयार कर वाहनों को अंतिम बोली दाता को सुपुर्द कर रूकसत किया गया, इस प्रकार चौकी सीतापुर में खडे 35 वाहनों की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा दिनाँक 28.04.2019 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त कल्लू पुत्र सीता धोबी निवासी अगरहुंडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(11). माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ चित्रकूट के आदेश दिनांक 19.04.2025 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को आबकारी अधिनियम के अभियोगो से सम्बन्धित मालो को श्रीमान क्षेत्राधिकारी मऊ यामीन अहमद,श्रीमान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह,श्री मणिकांत कार्य़ालय लिपिक न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ,जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेंद्र बहादुर सिंह ,श्रीमान आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव ,प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय, हेडमोहर्रर नियाज़ राईन हेड मुहर्रिर अर्जुन सिंह की उपस्थिति में थाना मऊ परिसर में गढ्ढा खोदवाकर कुल 108 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर गढ्ढे में डालकर जलवाकर विनिष्टीकरण कराया गया।